भा.कृ.अ.प.—केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर तहसील — मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान — 304501

फा.सं.6(110)/Admn.I/2020/ 1905 दिनांक : 20.08.2020

## प रि प त्र

सक्षम अधिकारी के सज्ञान में सुरक्षा अधिकारी ने उनके नोट दिनांक 16.07.2020 द्वारा अवगत कराया है कि इस संस्थान में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी /ठेकेदार व आवासीय कॉलोनी में रहने वाले अधिकारी /कर्मचारी /ठेकेदार व परिवार के सदस्यों द्वारा कोविड—19 की गाईड लाईनों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है । जिससे सक्षम अधिकारी महोदय ने बडी गभीरता से लिया है तथा निम्नलिखित कोरोना महामारी से सम्बन्धित भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन करने हेतु सख्ती से निर्देश दिये है ।

1. संस्थान में कार्यरत सभी अधिकारी /कर्मचारी व उनके परिवार के सदस्य संस्थान परिसर तथा पब्लिक पार्क में मास्क लगाकर जावे ।
2. संस्थान में कार्यरत सभी ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को कार्य पर लगाने से पहले उन्हे मास्क लगाने एवं 2 गज की दूरी तथा समय —समय पर उनके हाथ सेनेटाईज करावे ।
3. शोपिग कम्पलेक्स में दूकानदार मास्क पहन कर एवं दुकान में सेनेटाईज की व्यवस्था तथा ग्राहको को बिना मास्क पहने सामान नहीं देवे तथा सामाजिक दूरी बनाये रखने की पालना की जावे ।
4. अतिथि गृह अविकानगर /पी.जी.होस्टल अविकानगर /किसान होस्टल अविकानगर के अनुबन्धकर्त्ता अनावश्यक रूप से किसी को भी एकत्रित न होने देवे एवं स्वयं भी उनके स्टाफ को उपरोक्त की पालना हेतु पाबन्द करें ।
5. सार्वजनिक स्थान पर एक साथ झुन्ड में बैठना एवं थुकने से परहेज किया जावे ।
6. बाहर से आने वाले आगन्तुक का थर्मल स्कैनिग व रजिस्टर में इन्ट्री करने के पश्चात अन्दर आने की अनुमति दी जावे ।

जो भी कर्मचारी, अधिकारी व उनके परिवार के सदस्य /ठेकेदार व उनकी लेबर द्वारा लापरवाही बरतने एवं उपरोक्त की पालना नहीं किये जाने पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार कडी कार्यवाही की जायेगी ।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है ।

( सुरेश कुमार )
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :—

1. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी,मुख्य संस्थान,अविकानगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त परिपत्र को उनके अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को जानकारी में लाया जावे ।
2. सुरक्षा अधिकारी को इस आश्य के साथ प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भ में समय—समय पर जारी किए दिशा निर्देशो की प्रति जो कि गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सभी अनुभागों को पृष्ठांकित की गई है ।
3. प्रभारी सुरक्षा से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्त कार्य कर रहे सुरक्षा गार्डो को उपरोक्त का पालन कराने हेतु निर्देशित करें ।
4. प्रभारी ए.के.एम.यू. को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।

Scanned with CamScanner